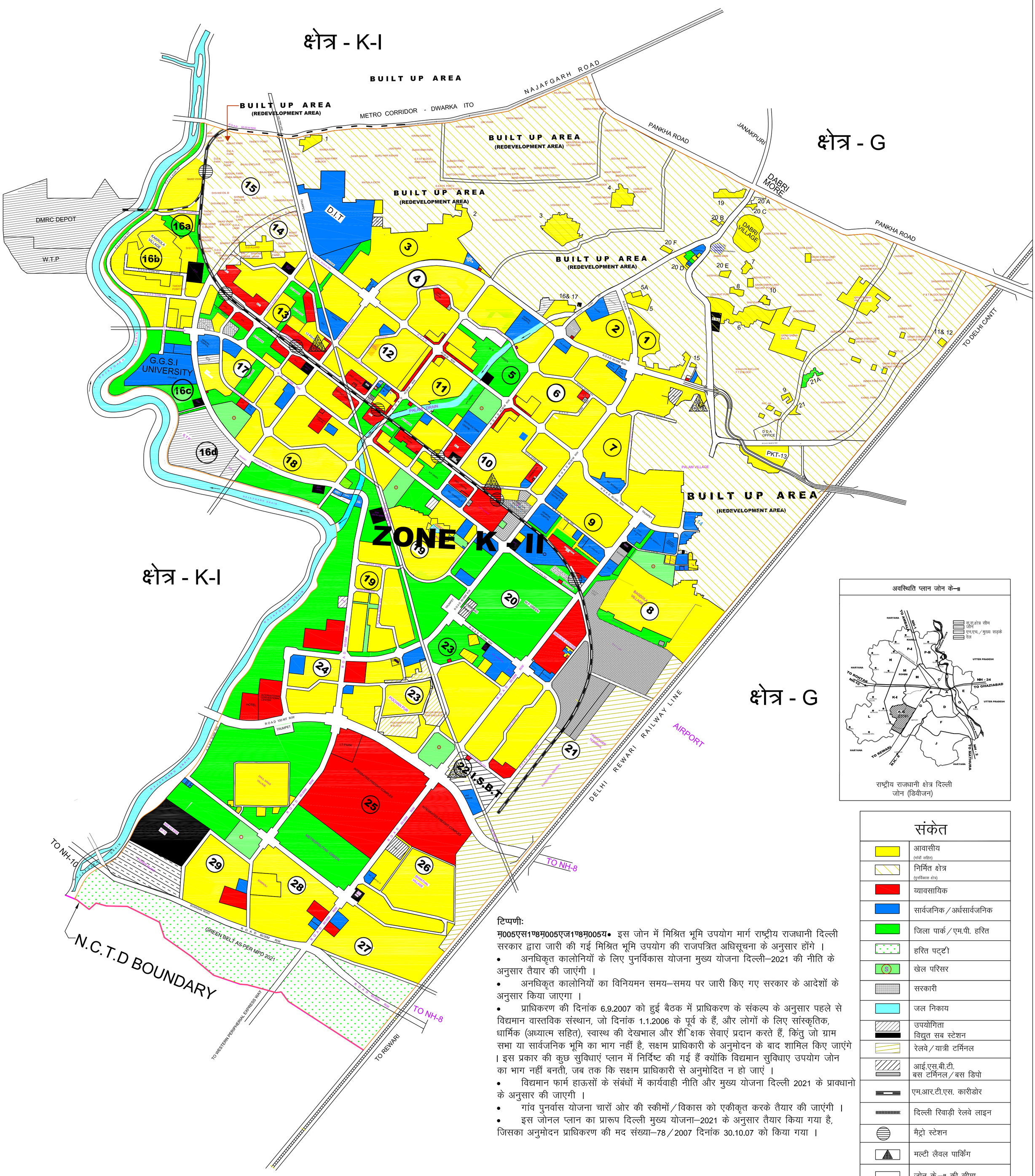

टिप्पणी:

म्005एस1ण्8म्005एज1ण्8म्005य• इस जोन में मिश्रित भूमि उपयोग मार्ग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई मिश्रित भूमि उपयोग की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार होंगे ।

- अनधिकृत कालोनियों के लिए पुनर्विकास योजना मुख्य योजना दिल्ली–2021 की नीति के अनुसार तैयार की जाएंगी ।
- अनधिकृत कालोनियों का विनियमन समय–समय पर जारी किए गए सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।
- प्राधिकरण की दिनांक 6.9.2007 को हुई बैठक में प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार पहले से विद्यमान वास्तविक संस्थान, जो दिनांक 1.1.2006 के पूर्व के हैं, और लोगों के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक (अध्यात्म सहित), स्वास्थ की देखभाल और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करते हैं, किंतु जो ग्राम सभा या सार्वजनिक भूमि का भाग नहीं है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार की कुछ सुविधाएं प्लान में निर्दिष्ट की गई हैं क्योंकि विद्यमान सुविधाए उपयोग जोन का भाग नहीं बनती, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित न हो जाएं ।
- विद्यमान फार्म हाऊसों के संबंधों में कार्यवाही नीति और मुख्य योजना दिल्ली 2021 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।
- गांव पुनर्वास योजना चारों ओर की स्कीमों/विकास को एकीकृत करके तैयार की जाएंगी ।
- इस जोनल प्लान का प्रारूप दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की मद संख्या–78/2007 दिनांक 30.10.07 को किया गया ।

संकेत

	आवासीय (गांवों सहित)
	निर्मित क्षेत्र (पुनर्विकास क्षेत्र)
	व्यावसायिक
	सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक
	जिला पार्क/एम.पी. हरित
	हरित पट्टी
S	खेल परिसर
	सरकारी
	जल निकाय
	उपयोगिता विद्युत सब स्टेशन
	रेलवे/यात्री टर्मिनल
	आई.एस.बी.टी. बस टर्मिनल/बस डिपो
	एम.आर.टी.एस. कारीडोर
	दिल्ली रिवाड़ी रेलवे लाइन
	मैट्रो स्टेशन
	मल्टी लैवल पार्किंग
	जोन के.–II की सीमा

प्रस्तावित भूमि उपयोग

प्रारूप क्षेत्रीय योजना के.–II

(दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार)

TC : 3 - 9 -2007
AUTH: 30 - 10 -2007
अनुमोदन का दिनांक

माप: 250 M 500 M 750 M 1000 M 1250 M 1500 M

उत्तर

Sd/- मुकेश चन्द्र (योजना सहायक)	Sd/- दीपक जोशी (योजना सहायक)	Sd/- एन. आर. अरविन्द (सहायक निदेशक)
Sd/- सब्य सचिदास संयुक्त निदेशक (योजना)	Sd/- आर. के. जैन निदेशक (योजना)	

द्वारका परियोजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण